उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या-8/2025/1024(1)/43-1-2025-7(4)/2015
लखनऊ :: दिनांक 24 दिसम्बर, 2025
कार्यालय ज्ञाप

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने, सेमिनार्स आयोजित करने तथा कार्यालय के अंशकालिक स्टाफ पर अनुमोदित व्यय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 8,00,000.00 (रुपया आठ लाख मात्र) में से कार्यालय ज्ञाप संख्या 07/2025/43-1-2025-7(4)/2015, दिनांक 11.04.2025 द्वारा धनराशि रु० 3,97,500.00/- (रुपया तीन लाख सत्तानबे हजार पाँच सौ मात्र) की प्रथम किश्त तथा संस्थान की सदस्यता ग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए रू० 5,000/-(रुपया पाँच हजार मात्र) की धनराशि आरक्षित रखते हुए धनराशि रु० 3,97,500.00/- (रुपया तीन लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ मात्र) की द्वितीय किश्त अनुदान के रूप में स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए हैं उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति / पुनरावृत्ति न हो इसे भी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की उ०प्र० रीजनल शाखा, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की उ०प्र० रीजनल शाखा, लखनऊ द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की उ०प्र० रीजनल शाखा, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2-उक्त धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्वतन पर धनराशि रु० 3,97,500.00/- (रूपया तीन लाख सत्तानबे हजार पाँच सौ मात्र) आहरित कर अवैतनिक सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की उ०प्र० रीजनल शाखा, लखनऊ को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि से सम्बन्धित लेखे राज्य सरकार द्वारा आडिटेबुल होगें।

3-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-46 के लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेतर-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इण्डियन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

4-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-164-X-2025-26,दिनांक 23.12.2025 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(संयुक्ता समद्दार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/2025/1024(2)/43-1-2025-7(4)/2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-अवैतनिक सचिव, आई०आई०पी०ए०, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश रीजनल शाखा, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
6-अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।